

कार्यालय वन संरक्षक, यमुनावृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87-राजपुर रोड, देहरादून, फ़ैक्स-0135-2745779

E-mail (cfyam-forest-uk@nic.in)

पत्रांक- 1460 / 12-1 दिनांक, देहरादून, 11 मार्च 2025।
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में बबडीघार लोहन बैंड से बाधना तक मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 9.50 कि०मी०) के संबंध में।
(FP/UK/ROAD/48748/2020)

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग का पत्रांक-4270/12-1 दिनांक- 03.02.2025
महोदय,

ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में दिनांक 28.06.2022 से पूर्व के गतिमान विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में वांछित वन भूमि तथा वृक्षों की स्थिति निम्न प्रकार है।

वन प्रभाग का नाम	वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति	क्षेत्रफल हैक्टर	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या
1	2	3	4
चकराता	आरक्षित वन	0.7390	25
	वन पंचायत	1.4965	0
	सिविल सोयम भूमि	1.9695	353
	कुल वन भूमि	4.2050	378
	नाप भूमि	2.9130	124

इस स्तर से प्रपत्र-भाग III में प्रस्ताव स्वीकृति की संस्तुति करते हुये प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीया

(कहकशां नसीम)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1460 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशां नसीम)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का नाम

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में बबडीघार लोहन बैंड से बाघना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लम्बाई 9.50 कि०मी०) के संबंध में।

1	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं।	सहमत हैं।
3	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता की संस्तुति के आधार पर जनहित में प्रस्ताव स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक - 11, मार्च 2025।

स्थान - देहरादून।

हस्ताक्षर

(कहकशां नसीम)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1